



कार्यालय पुलिस उपायुक्त काशी जोन, पुलिस कमिश्नरेट, वाराणसी
प्रेस-नोट

दिनांक:-29-03-2025

विषय:- “ऑपरेशन कन्विकशन” के तहत अभियुक्त मो0 इमरान खान को छेडखानी के प्रकरण में अधिकतम 05 वर्ष के सश्रम कारावास व कुल 15 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

थाना-आदमपुर में पंजीकृत मु0अ0सं0- 216/2016, धारा- 354ए, 354बी भादवि व 7/8 पाक्सो एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त मो0 इमरान खान पुत्र जहीर खां निवासी- ए-17/112 पठानी टोला थाना आमदपुर वाराणसी को थाना आदमपुर पुलिस व मॉनीटरिंग सेल के प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप दिनांक 29-03-2025 को मा0 न्यायालय विशेष न्यायालय पाक्सो-मेन जनपद वाराणसी द्वारा दोष सिद्ध करते हुए अभियुक्त मो0 इमरान उपरोक्त को धारा- 354ए, 354बी भादवि में अधिकतम 05 वर्ष के सश्रम कारावास व 15 हजार रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड न दिये जाने की दशा में अभियुक्त को 02 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा ।

सोशल मीडिया सेल
पुलिस उपायुक्त जोन-काशी
कमिश्नरेट-वाराणसी